

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 162/2018

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/सीपीसी/एलई-8

नई दिल्ली, दिनांक 17.10.2018

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के संबंध में।

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल स्थापना कोड (आईआरईसी), वॉल-1 के अध्याय-5 के नियम 551(ई) के प्रावधानों के अंतर्गत विकलांग बच्चे के मामले में चाइल्ड केयर लीव के लिए 22 वर्ष की सीमा को हटाने का विनिश्चय किया है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि एक बार में पांच दिन से कम की अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाएगी।

2. यह आदेश 13 जून, 2018 से लागू माना जाएगा।
3. इस छुट्टी से संबंधित अन्य नियमों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
5. कृपया पावती दें।



(एन पी सिंह)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (पी एंड ए),
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/सीपीसी/एलई-8

नई दिल्ली, दिनांक 17.10.2018

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।



कृते, वित्त/आयुक्त/रेलें

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/सीपीसी/एलई-8

नई दिल्ली, दिनांक 17.10.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं.253, रेल भवन, नई दिल्ली। (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली। (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली। (60 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।

4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा सं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली। (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन। (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा सं.341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
11. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
13. ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन।
14. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), कमरा नं. 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।
15. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।

निर्मला

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

(प्राधिकार: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 22.06.2018 का का.ज्ञा. सं. 13018/6/2013-स्था.(एल)).
